सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 01.09.2026

- **"ऑपरेशन शुद्धि" के तहत थाना दुद्धी पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई**
- **अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह से जुड़े 01 शातिर तस्कर गिरफ्तार**
- **उड़ीसा से लखनऊ के मटियारी/चिनहट क्षेत्र में सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा 55.989 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद, अनुमानित कीमत लगभग ₹28 लाख**
- **तस्करी में प्रयुक्त VERNA कार, अनुमानित कीमत ₹7 लाख, 01 एण्ड्रॉयड मोबाइल एवं ₹10,000 की एटीएम निकासी से संबंधित पर्ची बरामद**
- **कुल बरामदगी की अनुमानित कीमत लगभग ₹35 लाख**

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में **"ऑपरेशन शुद्धि"** के तहत मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन **श्री ऋषभ रुणवाल** एवं क्षेत्राधिकारी दुद्धी **श्री विनय प्रभाकर साहनी** के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना दुद्धी **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** के कुशल नेतृत्व में थाना दुद्धी पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

थाना दुद्धी पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस टीम की संयुक्त टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह से जुड़े एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से **उड़ीसा से लखनऊ के मटियारी/चिनहट** क्षेत्र में सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा 53 बण्डलों में कुल 55.989 किलोग्राम अवैध गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹28 लाख, तस्करी में प्रयुक्त VERNA कार संख्या UP42CE6539, अनुमानित कीमत ₹7 लाख, 01 एण्ड्रॉयड मोबाइल फोन एवं ₹10,000 की एटीएम निकासी से संबंधित पर्ची बरामद की गई है। कुल बरामदगी की अनुमानित कीमत लगभग ₹35 लाख है।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 01.09.2026 को थाना दुद्धी पुलिस द्वारा म्योरपुर तिराहा पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर विंढमगंज की ओर से आ रही सफेद रंग की कार को रोकने का प्रयास किया गया, परन्तु चालक कार को तेज गति से लेकर रजखड़ की ओर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर **रजखड़ घाटी के पास घेराबंदी कर** वाहन को रोक लिया गया तथा **चालक को पकड़ लिया गया।**

कृत कार्यवाही—

पकड़े गए अभियुक्त ऋषभ सिंह उर्फ रिशु सिंह की निशानदेही पर वाहन की डिग्गी से खाकी रंग के **टेप में लिपटे 53 बण्डलों में कुल 55.989 किलोग्राम अवैध गांजा** बरामद हुआ। क्षेत्राधिकारी दुद्धी **श्री विनय प्रभाकर साहनी एवं फील्ड यूनिट की** उपस्थिति में बरामदगी की कार्रवाई की गई। अभियुक्त के कब्जे से 01 एण्ड्रॉयड मोबाइल फोन एवं ₹10,000 की एटीएम निकासी से संबंधित पर्ची भी बरामद हुई। वाहन को आवश्यक कागजात न होने के कारण एमवी एक्ट की धारा 207 के तहत सीज किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर **थाना दुद्धी पर मु0अ0सं0-246/2026, धारा 8/20/27ए/29/60 एनडीपीएस एक्ट** के तहत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण—

गिरफ्तार अभियुक्त ऋषभ सिंह उर्फ रिशु सिंह से पूछताछ में प्रकाश में आया कि वह अन्य साथियों के साथ मिलकर **उड़ीसा के बोध क्षेत्र से गांजा खरीदकर झारखण्ड एवं छत्तीसगढ़ के रास्ते सोनभद्र होते हुए लखनऊ के मटियारी एवं चिनहट क्षेत्र** में ले जाकर बेचने का कार्य करता है। अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि इस बार वह अपने साथियों के साथ उड़ीसा के बोध क्षेत्र से 53 बण्डल गांजा खरीदकर लखनऊ के मटियारी/चिनहट क्षेत्र में सप्लाई करने के उद्देश्य से ला रहा था, तभी थाना दुद्धी पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के अनुसार तस्करी में प्रयुक्त वाहन भी उसके साथी का है। तस्करी में संलिप्त सभी लोग आपस में व्हाट्सऐप कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं।

पूछताछ में प्रकाश में आए अन्य व्यक्तियों की भूमिका एवं उड़ीसा से सोनभद्र होते हुए लखनऊ के मटियारी/चिनहट तक संचालित अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क की गहनता से जांच की जा रही है। बरामद मोबाइल फोन एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों को चिन्हित कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. **ऋषभ सिंह उर्फ रिशु सिंह पुत्र नकुल उर्फ संदीप सिंह**, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी अलीपुर, थाना कासिमपुर, तहसील संडीला, जनपद हरदोई।

बरामदगी का विवरण—

- 53 बण्डलों में कुल 55.989 किलोग्राम अवैध गांजा – **(अनुमानित कीमत लगभग ₹28 लाख)**
- VERNA कार संख्या UP42CE6539 – **(अनुमानित कीमत ₹7 लाख)**
- 01 एण्ड्रॉयड मोबाइल फोन।
- ₹10,000 की एटीएम निकासी से संबंधित पर्ची।
- **कुल अनुमानित कीमत लगभग ₹35 लाख।**

गिरफ्तार अभियुक्त अभियुक्त ऋषभ सिंह उर्फ रिशु सिंह का आपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0- 1267/2022, धारा 379, 411 भा0द0वि0, थाना कोतवाली, जनपद बाराबंकी।
2. मु0अ0सं0- 57/2017, धारा 394, 411 भा0द0वि0, थाना आलमबाग, जनपद लखनऊ।
3. मु0अ0सं0- 314/2017, धारा 392, 411 भा0द0वि0, थाना पारा, जनपद लखनऊ पश्चिमी।
4. मु0अ0सं0- 516/2017, धारा 3(2)(v) एससी/एसटी अधिनियम व 302 भा0द0वि0, थाना ठाकुरगंज, जनपद लखनऊ पश्चिमी।
5. मु0अ0सं0- 204/2022, धारा 34, 392, 411 भा0द0वि0, थाना पीजीआई, जनपद लखनऊ दक्षिणी।
6. मु0अ0सं0- 222/2022, धारा 379, 411 भा0द0वि0, थाना पीजीआई, जनपद लखनऊ दक्षिणी।
7. मु0अ0सं0- 223/2022, धारा 25/3 आयुध अधिनियम, थाना पीजीआई, जनपद लखनऊ दक्षिणी।
8. मु0अ0सं0- 671/2022, धारा 120बी, 34, 392, 411, 413, 420, 458, 506 भा0द0वि0, थाना ठाकुरगंज, जनपद लखनऊ पश्चिमी।
9. मु0अ0सं0- 81/2022, धारा 392, 411 भा0द0वि0, थाना बाबू बनारसी दास, जनपद लखनऊ पूर्वी।
10. मु0अ0सं0- 253/2025, धारा 305ए, 317(2), 331(4) बीएनएस, थाना तालकटोरा, जनपद लखनऊ पश्चिमी।
11. मु0अ0सं0- 13/2026, धारा 125ए, 125(बी), 281 बीएनएस, थाना तालकटोरा, जनपद लखनऊ पश्चिमी।
12. मु0अ0सं0- 246/2026, धारा 8/20/27ए/29/60 एनडीपीएस एक्ट, थाना दुद्धी, जनपद सोनभद्र।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, थाना दुद्धी, जनपद सोनभद्र।
2. निरीक्षक नागेश सिंह, एसओजी/सर्विलांस प्रभारी मय टीम।
3. उ0नि0 संजय सिंह, उ0नि0 हरिकेश राम आजाद, हे0का0 लक्ष्मण शंकर यादव, का0 राहुल कुमार बिन्द, का0 गणेश मिश्रा, का0 अरविन्द कुमार यादव, का0 सुनील सरोज थाना दुद्धी, जनपद सोनभद्र।